

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत)

आधिनियम 1956 के अन्तर्गत  
**राजस्थान सेवा शिवालय-2025**

प्रपत्र संख्या 221/25  
 दापर किांत 27/09/25  
 निर्णय किांत 27/09/25  
 प्रशासन गाँव के संग-2025

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विांवि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	336	किा-07	1.37	दीराम पुत्र छारी जति-जट	<del>दीराम पुत्र छारी</del> दीराम पुत्र छारी जति-जट	
<p>राजस्व ग्राम <u>नदी</u> पं० सं० <u>नदी</u> मू० अ० नि० पुता <u>दीरामाना</u> तहसील-<u>जयसमेर</u></p>						
<p>मुताबिक मिसल / जमावन्दी सवत <u>2074-77</u> के साबिक राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>						
<p>पं० हल्का <u>नदी</u> मू० अ० नि० <u>दीरामाना</u> के आधारे पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोवस्त सक्रियाओं के दौरान / पूर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>						
<p>पं० हल्का <u>नदी</u> मू० अ० नि० <u>दीरामाना</u> राजस्व अधिकारी <u>दीरामाना</u> रिपोर्ट व साबिक रिकार्ड के आधारे पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमावन्दी में अमल किया जाये।</p>						



19



दिनांक 18.09.25  
 पं० सं० नदी  
 ह० पटवारी

दिनांक 18/9/25  
 ह० मू० अ० नि०  
 पुता दीरामाना  
 वृत्त ILR टनापान

दीरामाना  
 अधिकारी

ह० पखण्ड अधिकारी  
 अलवर

सिपखण्ड अधिकारी  
 अलवर